प्रेस नोट   दिनांक 06.08.20265

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन मऊ में मंगलवार परेड में प्रतिभाग कर दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 04.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस लाईन परेड ग्राउंड में मंगलवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। निरीक्षण के क्रम में महोदय द्वारा यू0पी0-112 व थानों से आये वाहनों की गहनता से चेकिंग की गयी तथा पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों से वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण/सुरक्षा उपकरणों के सम्बंध में जानकारी लेते हुए उनकी चेकिंग की गयी व तत्पश्चात क्वार्टर गार्द, स्टोर, परिवहन शाखा, मेस, पुलिस बैरक व पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

आज दिनांक 04.08.2026 को समय 01:00 बजे पुलिस लाइन मऊ में शातिर अभियुक्तों के गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस किया जायेगा जिसमें आप सभी पत्रकार बन्धु सादर आमंत्रित है।

हत्या की घटना का सफल अनावरण

ग्राम सुल्तानपुर काशीराम आवास मे एक व्यक्ति की चाकू घोपकर हत्या कारित करने की घटना मे संलिप्त 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर महोदय कुशल नेतृत्व दिनांक 04.08.2026 को थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 266/2026 अन्तर्गत धारा 3(5)/103(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 61(2)ए बीएनएस से

सम्बन्धित 02 नफर वाछिंत (अभियुक्त व अभियुक्ता) गिरफ्तार व उनके निशां देही से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी बरामद होना ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम सुल्तानपुर काशीराम आवास मे दिनांक 3.8.2026 को प्रेम प्रसंग व आशिकी को लेकर मृतक असगर अली पुत्र स्व0 बदरूद्दीन खान नि0 मछली बाजार थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष हाल पता कासिम पोखरी थाना कोतवाली जनपद मऊ के सीने पर चाकू घोपकर हत्या कारित कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 266/2026 धारा 3(5),103(1) बीएनएस बनाम 1. शहजादी पत्नी पप्पू निवासिनी मुन्शीपुरा ओवर ब्रिज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ 2.आकाश पुत्र अज्ञात निवासी कासिम पोखरी मुन्शीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ 3. एक अन्य साथी अज्ञात पंजीकृत किया गया।

सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो के आधार पर विवेचना करते हुए वाछिंत अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज के पास थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही थी जिसके क्रम मे दिनांक 4.8.2026 को अभियुक्त गण 1. सूरज राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज के पास थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष को ग्राम रणबीरपुर बार्डर के पास से तथा अभियुक्ता 2. शहजादी उर्फ घुघनी पत्नी पप्पू निवासिनी मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 38 वर्ष को सरवां मोड कन्धेरी के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त सूरज राजभर के निशां देही से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी न0 UP 54 AA 6942 बरामद करते हुए कब्जा पुलिस मे पुलिस लिया।

अभियुक्तो से कडाई से पूछा गया तो अभियुक्ता शहजादी ने बताया कि मैं मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज के पास अपने पति पप्पू के साथ रहती थी परन्तु आपस में अनबन होने के कारण करीब ढाई साल से अपने पति से अलग रहने लगी थी। इसी दौरान कासिम पोखरी मुन्शीपुरा के रहने वाले असगर अली पुत्र स्व0 बदरुद्दीन से मेरा सम्बन्ध हो गया था हम लोग आपस में मिलने लगे थे और प्यार हो गया। पिछले दो तीन महीने से असगर अली से मेरा लड़ाई झगड़ा होने लगा था तो मैं उसी के मोहल्ले के रहने वाले आकाश राव पुत्र मुन्ना राम के साथ मेरी बातचीत होने लगी थी तथा आकाश भी मुझसे प्यार करने लगा फिर हम लोग असगर से छिपकर आपस में मिलते थे। इस बात की जानकारी असगर अली को हुई तो वह मुझे बहुत डांटा कि आकाश से मत मिला करो तथा मुझे मारा पीटा। इस बात को मैंने आकाश से मिलकर बताया कि असगर मुझे तुमसे मिलने से मना कर रहा है, अब आगे अगर मिलना है तो असगर अली को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर हम लोग साजिश के तहत योजना बनाकर सुल्तानपुर आवास में भाड़े पर एक आवास लिया और

दिनांक 3.8.2026 सुबह करीब 04.40 बजे आकाश अपने एक साथी सूरज राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के साथ आवास पर आया फिर हम तीनों लोग मिलकर उस कमरे में गये कि आहट सुनकर असगर तख्ते से उठकर बैठ गया था। इसके पहले की वह कुछ समझ पाता कि सूरज ने उसका दोनो हांथ पकड़ा तथा मैने उसका सिर पकड़ा और आकाश राव ने अपने पास लिये धारदार चाकू असगर अली के सीने में घोप दिया और असगर अली वही मौके पर मर गया । उसके बाद आकाश राव तथा सूरज अपनी स्कूटी गाड़ी से चाकू लेकर चले गये तथा कुछ देर बाद मैं भी असगर की लाश को उसी तख्ते पर छोड़कर भाग गयी थी।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. सूरज राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज के पास थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष
2. शहजादी उर्फ घुघनी पत्नी पप्पू निवासिनी मुन्शीपुरा ओबर ब्रिज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 38 वर्षो

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

1. अभियुक्त को दिनांक 4.08.2026 को रणबीरपुर बार्डर के पास
2. अभियुक्ता को दिनांक 04.08.2026 को सरवां मोड कन्धेरी के पास से

वांछित अभियुक्त-

1. आकाश राव पुत्र मुन्ना राम

बरामदगी का विवरण-

1. घटना मे प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी न0 UP 54 AA 6942 बरामद

01 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भोगवा जलालपुर बार्डर से मु0अ0स0 82/26 धारा 109, 352, 351(2), बीएनएस से संबंधिक अभियुक्त अमजद पुत्र विसमिल्ला निवासी जसड़ा थाना चिरैयाकोट को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अमजद पुत्र विसमिल्ला निवासी जसड़ा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मुबीएनएस ,(2)351 ,352 ,109 धारा 26/82 0स0अ0